राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5139 / 2022

दिनेश कुमार काबरा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर।
3. पीईईओ एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रीठ (कोटडी) भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गडरीखेडा, भीलवाडा से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दण्डका खेडा, भीलवाडा में किया गया है।
4. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 60 किमी. दूर अन्य ब्लॉक में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से अपीलार्थी को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पडेगा। अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई प्रशासनिक आवश्यकता भी नहीं है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य

आदेश दिनांक 28.08.2022 एवं 31.08.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

5. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
6. सेवा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है एवं स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2017 से पदस्थापित है। ऐसे में समुचित अवधि तक पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधिकरण स्तर से स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राहय्ता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)